<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–194/2026

C.N.R.N ०–UPRP01–001633–2026

रजि० सं०–351/2026

मनोहर लाल आयु करीब 27 वर्ष पुत्र श्री कुंवरसेन निवासी ग्राम पटटी बसंतपुर थाना केमरी जिला रामपुर।

बनाम

उ०प्र० सरकार

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त **मनोहर लाल** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–22/2026 धारा–69, 351(3) बी०एन०एस० थाना खजुरिया जिला रामपुर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 02.03.2026 को समय 13.36 बजे वादनी/पीड़िता ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है तथा उसका ग्राम पटटी बसंतपुर थाना केमरी जिला रामपुर के मनोहर लाल से करीब 04 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसने उसे आज तक शादी का झांसा दे रखा है तथा इस बीच उसने उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण भी किया है और अब वह उसके साथ शादी करने से मना कर रहा है, इस बात की उसके घर वालों को भी जानकारी है। मनोहर लाल के घर वाले पिता कुमरसैन, भाई महेशपाल, उसकी मां भूरी देवी, चचेरा भाई पवन, बहन धर्म कुमारी अब उसे मारने की तरह तरह की धमकी दे रहे है और कहते है कि हमारे घर आयी तो हम तुझे जान से मार देंगे।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे उपरोक्त मुकदमे में झूंठा व गलत फंसाया गया है। उसने वादनी/पीड़िता का कभी भी झांसा देकर शारीरिक शोषण नहीं किया है, क्योंकि पीड़िता की आयु 25 वर्ष है और बालिग है और उसका किसी प्रकार के झांसे में आना सम्भव नहीं है। वादनी/पीड़िता कक्षा 12 पास है तथा उसने अपनी तहरीर में स्वयं 04 साल से प्रेम प्रसंग और कई बार शारीरिक शोषण किये जाने की बात कहीं है, क्योंकि वादनी/पीड़िता सोच समझकर उसको ब्लैकमेल करके पैसा हड़पने का प्रयास कर रही है। दिनांक 15.01.2026 को व्हाटसएप चेट पर पथरी के आप्रेशन के लिये 25,000/–रूपये की उससे मांग की, क्योंकि वादनी/पीड़िता उसकी मौसेरी भांजी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और न ही घटना का कोई समय, स्थान व तारीख प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उस पर नाजायज दबाब बनाने की गरज से उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर धमकाने का आरोप लगाया है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और न ही कोई आपराधिक इतिहास है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में

नामजद एवं मुख्य अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त ने वादनी/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और शादी करने के लिये कहने पर उसके परिवार वालों ने वादनी/पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. केस डायरी के पर्चा सं०–1 दिनांकित 02.03.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादनी/पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि **''मनोहरलाल मेरे दूर का रिश्तेदार है, मेरे घर पर मनोहरलाल का आना जाना था, एक दिन मेरे घर पर कोई भी नहीं था तो मनोहरलाल मेरे घर आकर मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ये बोलकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और पिछले चार साल से मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहा है, मनोहरलाल से अब मैने शादी करने को बोला तो शादी करने से मना कर रहा है, मनोहरलाल ने कहा कि मै तुझे चार साल से इस्तेमाल कर रहा था।''** वादनी/पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में भी कथन किया है कि **''मनोहरलाल जो मेरे दूर का रिश्तेदार है, मैं उसे चार सालों से जानती हूं, उसने मुझे चार साल पहले शादी करने को कहा था, उसका घर पर आना जाना था, मुझे तारीख याद नहीं है कि किस तारीख को शादी के लिये कहा था, मनोहरलाल ने मुझे रूद्रपुर में कमरा दिलाकर रखा हुआ है, वहां मैं डेढ़ वर्ष से रह रही हूं, वह रूद्रपुर मेरे पास आता रहता है, मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध भी बनाये है, उसने मेरे साथ कितनी बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये है, नहीं मालूम है, उसका मेरे कमरे पर वह मेरे घर भी आना जाना था, अब वह शादी करने से मना कर रहा है।''** वादनी/पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सक द्वारा उल्लेख किया गया है कि **''HYMEN–ABSENT, NO INTERNAL OR EXTERNAL INJURY SEEN AT THE TIME OF EXAMINATION.''**

7. आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद एवं मुख्य अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त पर वादनी/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर 04 सालों से बलात्कार किये जाने तथा अब शादी करने से इंकार किये जाने एवं आवेदक/अभियुक्त के परिवार वालों द्वारा वादनी/पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

8. मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

9. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 24–03–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2 रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.24 16:44:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court